छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 543/2009

1. श्री संदीप अग्रवाल, - *अपीलार्थी*
सरकारी अस्पाल के सामने,
मेन रोड़, सरायपाली,
जिला-महासमुंद (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी/सचिव,* - *प्रति अपीलार्थी*
ग्राम पंचायत-माल्दामाल,
जनपद पंचायत-सरायपाली, जिला-महासमुंद (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 31 अक्टूबर, 2009)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री संदीप अग्रवाल द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए जन सूचना अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत-माल्दामाल, जिला-महासमुंद के समक्ष दिनांक 20.03.2009 को आवेदन प्रस्तुत किया था, किन्तु उनके द्वारा आवेदन लेने से इंकार करने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के यहॉं आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने पत्र दिनांक 28.04.2009 के द्वारा सात दिवस में जानकारी देने के आदेश पारित किये, किन्तु उसके बाद भी जानकारी नहीं मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 13.05.2009 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई। प्रकरण में प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी जानकारी नहीं देने के कारण विलंब के लिए जन सूचना अधिकारी को पॉंच हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया, जिसका उत्तर उनके द्वारा दिनांक 15.10.2009 को प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत उत्तर में बताया गया अपीलार्थी ने पूर्व में भी दिनांक 26.12.2007 को जानकारी चाही थी और दिनांक 23.01.2008 को जवाब सहित दस्तावेज दिये गये तथा दिनांक 27.12.2006 को एक चैक से राशि 2700/- रूपये ग्राम पंचायत के खाते से पत्रकार होने की धौस देकर लिया गया है। फिर अपीलार्थी द्वारा पुनः उन्हीं दस्तावेज की मॉंग की गई, जिस पर ग्राम पंचायत से दिनांक 30.03.2009 को पॉंच हजार रूपये की मॉंग की गई और दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होना बताया गया। प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरायपाली की एक अपील प्रकरण की छायाप्रति संलग्न की है, जिसमें दिनांक 23.01.2008 को जानकारी से अपीलार्थी संतुष्ट होना बताया गया। प्रकरण में प्रस्तुत उपरोक्त उत्तर एवं

//2//

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

सलंग्न दस्तावेजों से इस बात की संभावना है कि अपीलार्थी का मुख्य उद्देश्य जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि पंचायत के पदाधिकारियों को परेशान करना अथवा उनसे अवैध राशि की माँग करना अधिक प्रतीत होता है। अत: उक्त जारी कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर संतोषप्रद होने से उक्त कारण बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है और प्रकरण में शास्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। किन्तु साथ ही मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को यह निर्देश दिये जाते हैं कि सचिव, ग्राम पंचायत, माल्दामाल एवं अपीलार्थी को रिकार्ड सहित बुलावे और अपने समक्ष ही संबंधित रिकार्ड का नि:शुल्क निरीक्षण करवा दें। साथ ही प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, महासमुंद को यह निर्देश दिये जाते हैं कि इस ग्राम पंचायत का विशेष आडिट करवा लें और यदि कोई गड़बड़ी पाई जावे तो दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावे। साथ ही पैसे के लेन देन संबंधी मामले की भी वे अपने स्तर पर जांच करे और उसमें जो भी दोषी पाये जावे उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जावे। प्रकरण में अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ यह अपील प्रकरण समाप्त किया जाता है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com